रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 668] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 1988/पौष 1, 1910
No. 668] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 1988/PAUSA 1, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(वार्षिक कार्य विभाग)

(शेयर बाजार प्रभाग)

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1988

अधिसूचना

का.आ. 1104(अ)—केन्द्रीय सरकार, मध्य प्रदेश स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड, इंदौर (जिसे इसमें इसके पश्चात उपर्युक्त एक्सचेंज कहा गया है) के द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42वां) की धारा 3 के अन्तर्गत मान्यता के लिए दिए गए आवेदन पत्र पर विचार करने और यह से सन्तुष्ट होने के बाद कि ऐसा करना व्यापार के हित में तथा लोकहित में भी होगा, उपर्युक्त

अधिनियम, की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा उक्त एक्सचेंज को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत स्थाई आधार पर प्रतिभूतियों के संबंध में संविदाएं निपटान करने के लिए ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार जो बाद में निर्धारित की जाएंगी अथवा लागू की जाएंगी, मान्यता प्रदान करती है।

[फ सं. 1(101)/एस.ई./88]
एस. वरदाचारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Stock Exchange Division)

New Delhi, the 22nd December, 1988

NOTIFICATION

S.O. 1194(E).—The Central Government, having considered the application for recognition made under section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), by the Madhya Pradesh Stock Exchange, Indore (hereinafter referred to as the said Exchange) and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants in exercise of the powers conferred by section 4 of the said Act, recognition to the said Exchange under section 4 of the said Act, on a permanent basis, in respect of contracts in securities subject to such conditions as may be prescribed or imposed hereafter.

[No. F. 1|101|SE|88

S. VARADACHARI, Jt. Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988